PARED ATION EXAM	A
PAPER - 2	
BUSINESS LAWIS	

Roll No.

Total No. of Questions – 6

Total No. of Printed Pages - 24

Time Allowed - 3 Hours

13/04/2024 PM.



1 5 SFP 2024

Maximum Marks - 100

# WPR-H

Answers to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium, his/her answers in Hindi will not be evaluated.

Question No. 1 is compulsory.

Answer any four questions from the remaining five questions.

Working notes should form part of the answers.

Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the invigilators or having/using mobile phone or smart watch will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

Marks

3

1. (a) (i) Mr. L let out his residential house to Mr. M for ₹ 50,000 p.m. for a period of one year. According to the Rent agreement, electricity bill will be paid by Mr. L. But Mr. L could not pay electricity dues up to 5 months, due to his financial hardships. The Electricity Board sent the notice of disconnection, if it is not paid within a week's time. To avoid all this, Mr. M paid the electricity bill of ₹ 50,000 with penalty. Later on, L refused to reimburse ₹ 50,000 and argued that he has paid bill voluntarily because of his own interest. Decide with reference to provisions of The Indian Contract Act, 1872 whether Mr. M is entitled to be reimbursed by Mr. L?

WPR-H

P.T.O.

- (ii) Mr. A offered to sell 25 chairs to Mr. B @ ₹ 1,500 per chair on 12.02.2024. A promised B that he would keep the offer open till 15.02.2024. However, on 13.02.2024, he sold those chairs to Mr. C @ ₹ 1,700 per chair without the knowledge of B. Mr. B communicated the acceptance of the above offer on 14.02.2024. Advise, with reference to provisions of The Indian Contract Act, 1872 whether Mr. B can claim damages from Mr. A?
- (iii) Mr. A was running an orphanage. His friend Mr. S, a philanthropist agreed to donate ₹ 2 lakh for treatment of a child, who was suffering from cancer. On emergency Mr. A incurred ₹ 1.5 lakh on treatment of child. Now Mr. S refused to pay. Whether Mr. A can claim ₹ 1.5 lakh from Mr. S with reference to provisions of The Indian Contract Act, 1872?
- (b) (i) Kamal, a Chartered Accountant started his e-commerce business by incorporating a One Person Company (the OPC) on 1st October, 2023. He, being a sole member of the OPC named his brother Sudhakar, with his consent, as his nominee in the Memorandum of Association of the OPC. Now, Kamal intends to replace Sudhakar and to nominate any one of the following short-listed friends as a nominee with effect from 1st January, 2024.
  - (1) Robert, an Indian citizen, and a resident in India shifted his residence to the USA on 31st May, 2022 and has not returned to India till 1st January, 2024.
  - (2) Dinkar, an Indian citizen, and non-resident in India came for employment in India on 1<sup>st</sup> April, 2023 and have been continuously staying in India since then.

Referring to the provisions of the Companies Act, 2013, advise Kamal regarding eligibility of his short-listed friends to be appointed nominee and the procedure to be followed for changing the name of the nominee as per the provisions of The Companies Act, 2013.

- (ii) XYZ Ltd. was incorporated to hold the patent for a new product. The company is expecting to start its commercial production within the next two years. In the meanwhile, for timely installation, the company has placed the purchase order for plant and machinery with a down payment of ₹ 1 crore. Referring to the provisions of The Companies Act, 2013 examine, whether the company can go for acquiring the status of a dormant company?
- (c) Referring to the provisions of the Indian Partnership Act, 1932, answer the following:
  - (i) "If a partner is otherwise expelled; the expulsion is null and void." Discuss.
  - (ii) "The partner who is expelled will cease to be liable to the third party for the act of the firm done after expulsion." Analyse.
- 2. (a) (i) M/s RK Traders (Buyer) made a contract with M/s CK Traders (Seller) for purchase of 2000 kg of basmati rice specifically grown in Chhattisgarh State should be packed in pink colour bags of 25 kg each to identify the place of origin by specifying the mode of packing of basmati rice. The seller agreed for specific packing of rice grown in Chhattisgarh State. However, by misunderstanding staff of seller packed the quantity of 1800 kg of basmati rice grown in the State of Maharashtra in white colour bags of 30 kg each and the remaining quantity of 200 kg, grown

9; v-1

3

5

in Chhattisgarh State, in pink colour bags of 25 kg each. Referring to the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 analyse, whether the buyer has the right to reject the entire quantity of basmati rice supplied by the seller.

On the other hand what is the remedy available to buyer if he has to accept the entire quantity to fulfil his other contracts with other parties?

(ii) Kartik agreed to sell his laptop to Vasant for a price to be fixed by Kusum a hardware engineer. However, before the delivery of the laptop, Kartik changed his mind and did not share any particulars and configuration of the laptop with Kusum, which made her unable to do the valuation. Kusum refused to do valuation.

Vasant needed laptop for his project, so he promised Kartik that, if the laptop is delivered to him, he would pay a reasonable price for it. However, Kartik decided not to sell his laptop to Vasant. Now, Vasant wants to know from you, being a legal expert, whether Kartik is bound by his promise as he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price. If he does not agree to deliver what is the other remedy available to Vasant? Advise, referring to the provisions of the Sale of Goods Act, 1930.

- (b) Referring to the provisions of the Companies Act, 2013, answer the following:
  - (i) "Corporate veil sometimes fails to protect the members of the company from the liability connected to the company's actions."

    Explain any three instances.
  - (ii) What is the effect of Memorandum and Articles when registered? 2

WPR-H
Referring to the provisions of the Limited Liability Partnership Act,
2008, answer the following:

- (i) Under what circumstances a Limited Liability Partnership is compulsorily required to change its name? Also, explain the compliance requirement following the change of name and the consequences, if any, in case of default therein.
- (ii) What do you mean by a Small Limited Liability Partnership?
- 3. (a) Referring to the provisions of the Indian Partnership Act, 1932, answer the following:
  - (i) Ram and Shyam are partners in a partnership firm styled as RS & Co. (the firm). Gopal, a renowned businessman, is their common friend. Ram introduced Gopal to Sundar, a supplier to the firm, as his newly joined partner. Gopal knowing that he is not a partner preferred to keep quiet on such an introduction. This information about Gopal, being a partner of the firm, was shared by Sundar with another businessman Madhav. Next day, Sundar supplied the raw material on credit and Madhav lent ₹ 5 lakhs to the firm for a short period on the understanding that Gopal is a partner of the firm. On due dates, the firm failed to discharge its liability towards both. Advise Gopal, whether he is liable to Sundar and Madhav for the aforesaid liability of the firm.
  - (ii) On admission as a new partner, Amar agreed to be liable for the existing debts (referred to as the old debts) of the firm by an agreement signed by the all partners including Amar. Examine, whether Amar will be liable in a suit filed by the creditor against the firm and all existing partners for recovery of the old debt of the firm.

Marks

4

- (iii) Suman, having 10% share in the property of ₹ 200 lakh of a firm retires from the firm on 31<sup>st</sup> March, 2023. The firm continues with the business thereafter without final settlement of accounts between the existing and retired partners and earned profits of ₹ 10 lakh during the financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2024. Suman, in her own interest and in the absence of any provision in the partnership firm on this point, claimed ₹ 3 lakh from the firm toward the use of her share in the property and profit of the firm which was rejected by the partners. There is no contract between the partners contrary to the provisions of the Act in this regard. Examine the validity of the amount claimed by Suman under the provisions of The Indian Partnership Act, 1932.
- JV Limited borrowed a secured loan of ₹ 5 crore from Star Bank (b) (i) Limited (the bank) to meet its working capital requirement. However, the borrowing powers of the company, under its Memorandum of Association, were restricted to ₹ 1 crore. The bank released the loan amount in two instalments of ₹ 1 crore and ₹ 4 crore. On the due date for repayment of the loan, the company refused to accept the liability of ₹ 5 crore on the ground that the borrowing was ultra vires the company. The company's books of account show that the company has utilised the loan amount of ₹ 3 crore for repayment of its lawful debts. The utilisation of the remaining ₹ 2 crore cannot be traced. Referring to the doctrine of ultra-vires under the Companies Act, 2013, examine the validity of the decision of the company denying the repayment of the loan and explore the remedy, if any, available to the bank for recovery of the loan.

1.4

3

(ii) After incorporation of Goodwill Private Limited (the company) on 15th May, 2024 the share certificates were issued to Amit, Sumit and Sumati being subscribers to the Memorandum of Association of the company without affixing the common seal thereon and under the signature of Amit and Sumit, the directors of the company. The company has yet to appoint a company secretary. On objection raised by Sumati, a director, about the validity of the share certificate signed by other two directors, Amit and Sumit, clarified that since the company has opted not to have the common seal for the company the share certificates (i.e. the document) signed by two directors are valid. Referring to the provisions of the Companies Act, 2013, examine the correctness of the objection raised by one of the directors and in response, the clarification offered by other directors.

Would your answer be different, if the company had a company secretary?

- (c) (i) In case of breach of contract, the court may award compensation or damages. Explain the circumstances when court may award ordinary damages, special damages and liquidated damages under the provisions of The Indian Contract Act, 1872.
  - (ii) What are the conditions need to be fulfilled to make the following agreements valid without consideration as per the provisions of the Indian Contract Act, 1872?
    - (A) Agreement made based on natural love and affection
    - (B) Promise to pay time-barred debts

3

4.

- Raghav found gold and diamond studded wristwatch value (a) (i) approximately ₹ 1,00,000/- on the roadside. He picked it up and then advertised in the newspaper that the true owner thereof can take the watch after showing proper evidence. After waiting for a certain period of time, when the true owner did not turn up, he gifted that wristwatch to his son Mahesh. A few days later, Madhav, the true owner of watch, somehow noticed his watch on wrist of Mahesh. He approached him to collect the same, but Mahesh refused. In the evening, Raghav called Madhav and told him that he incurred ₹ 20,000 to find the true owner if he fails to reimburse him the lawful expenses incurred on finding out the true owner, he will sue him for recovery thereof or retain the possession of the watch with him till recovery. Even he can sell the watch for recovery of expenses. Advise whether the following actions of Raghav were lawful according to provisions of The Indian Contract Act, 1872:
  - (A) Gifting the wristwatch to his son.
  - (B) Warning Madhav to sue for recovery of lawful expenses incurred in finding true owner.
  - (C) Retaining the possession of wristwatch till recovery of lawful expenses.
  - (D) Selling of wristwatch for recovery of expenses.
  - (ii) Woollen Garments Limited entered into a contract with a group of women in July, 2023 to supply various woollen clothes for men, women and kids like sweaters, monkey caps, mufflers,

woollen coats, hand gloves etc. before the commencement of the winter season. The agreement expressly provides that the woollen clothes shall be supplied by the end of October, 2023 before starting of winter season. However, due to the prolonged strike, women group could tender the supplies in March, 2024 when the winter season was almost over. Analysing the situation and answer the following questions in light of the provisions of The Indian Contract Act, 1872:

- (A) Whether company can reject the total supply by women group?
- (B) Whether company can accept the total supply on request of women group?
- (b) (i) With reference to provisions of The Negotiable Instruments Act, 1881, tell the instances where a person shall be deemed to have committed an offence for dishonour of cheque and what are the conditions to be compiled with for not constituting such an offence?
  - (ii) (A) All cheques are bills while all bills are not cheques. Explain the additional features of a cheque which differentiate a cheque from bill as per the Negotiable Instruments Act, 1881.
    - (B) Ambiguous instrument
- (c) Explain the types of laws in the Indian Legal System considering the Indian Regulatory Framework.

**/	DD	
W	PK	- 1

Marks

4

3

5. (a) (i) Ashok, a trader, delivered a camera to Mangesh on 'sale or return' basis. Mangesh delivers the camera to Rahul on the terms of 'sale for cash only or return'. Afterward, Rahul delivered it to Vishal on a 'sale or return' basis without paying cash to Mangesh. The camera, which was in the possession of Vishal was lost by theft though he exercised due care for its safety. Referring to the provisions of The Sale of Goods Act, 1930, analyse the situation and advise, whether Mangesh, Rahul or Vishal are, jointly or severally, liable to pay the price of the camera to Ashok.

(ii) Ansari of Jaipur sold 100 smart TV set @ ₹ 50,000/- per set to Baburam of Delhi. He delivered the TV sets to Chetan, a transport carrier for transmission to Baburam. Baburam further sold these 100 TV sets to Shayamlal @ ₹ 60,000/- per set. On reaching the goods at the destination, Baburam demanded the delivery but Chetan, wrongfully, refused to deliver the goods to Baburam. That is why; he failed to deliver TV sets to Shayamlal and suffered a huge loss on account of non-delivery. Ansari came to know about this. He directed Chetan to stop the delivery to Baburam and re-deliver the goods to him at Jaipur.

Answer the following questions under the provisions of the Sale of Goods Act, 1930:

- (A) Whether Ansari has right to stop the goods in transit?
- (B) Whether Baburam can claim loss suffered due to non-delivery from Ansari?
- (b) State the circumstances, in which a Court may, at the suit of the partner, dissolve a partnership firm under the provisions of the Indian Partnership Act, 1932.

- (c) In accordance with the provisions of the Indian Contract Act, 1872, answer the following:
  - (i) Rights of Bailor against any wrong doer (Third Party)
  - (ii) Duties of the Pawnee
- 6. (a) Referring to the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881, answer the following in the given scenario:
  - (i) Aman drew the bill of exchange (the bill) on Baban, who accepted it, payable to Magan or order. Magan indorsed the bill to Gagan. Gagan indorsed the bill to Akash to be delivered to him on the next day. However, on the death of Gagan on the same day, his only son Ankit delivered the bill to Akash on the next day as intended by his deceased father. On presenting the bill on the due date, Baban refused to pay. Explaining the importance of delivery in negotiation, decide, whether Akash can enforce the payment of the bill against Baban or the previous parties.
  - (ii) Reliable Limited, an Indian company, is a global leader in Petrochemical products. For payment of the sale price of machinery imported from Alex Manufacturing Limited, a USA-based company (the exporter), the Indian company drew a bill of exchange on Manish, a resident of Mumbai (India) who accepted the bill at Mumbai payable to the exporter in Los Angeles, USA. Decide, whether the bill of exchange is an inland instrument or a foreign instrument. Assume that the bill of exchange was signed by the authorised person for the drawer company.

		WPR-H	Marks
(b)	Ansv 1872	wer the following as per the provisions of the Indian Contract Act,	s!
	(i)	'Agent cannot personally enforce, nor be personally bound by, contracts on behalf of the principal' however there are some exceptions to this general rule, explain.	4
	(ii)	State the rights of Indemnity-holder when sued.  OR	2
	(i)	Explain any four differences between Contract of Indemnity and Contract of Guarantee.	4
	(ii)	Whether the threat to commit suicide is coercion?	2
(c)	(i)	Explain the legal rules of auction sale relating to the following points as per provisions of the Sale of Goods Act, 1930:  (A) Bid by seller with or without notification	4
		(B) Bidder to retract from his bid	
3		(C) Effect of pretending bidding	
	(ii)	Explain the provisions relating to the delivery of the wrong quantity of goods as per the provisions of the Sale of Goods Act, 1930.	

#### **WPR-H**

(Hindi Version)

उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देने हैं। वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है, तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा।

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्य टिप्पणियाँ (Working Notes) उत्तर के भाग होने चाहिए।

कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या मदद प्राप्त करते हुए या देते हुए या परीक्षक के निर्देशों की अवहेलना करते हुए या मोबाइल फोन रखे हुए या इस्तेमाल करते हुए या स्मार्ट घड़ी का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे परीक्षा से निष्काषित कर दिया जाएगा और साथ ही दाण्डिक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Marks

- 1. (a) (i) मि. एल ने अपना आवासीय घर 1 वर्ष के लिए ₹ 50,000 प्रति माह में किराये पर मि. एम. को दिया। किराये के अनुबंध के अनुसार, बिजली बिल का भुगतान मि. एल द्वारा दिया जायेगा। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण मि. एल 5 माह तक बिजली बिल का बकाया का भुगतान नहीं कर सका। विद्युत बोर्ड ने इसका एक सप्ताह में जुर्माने सिहत भुगतान नहीं किये जाने पर कनेक्शन काटने का नोटिस भेज दिया। इन सबसे बचने के लिए मि. एम ने ₹ 50,000 जुर्माने सिहत बिजली बिल का भुगतान कर दिया। बाद में, एल ने तर्क दिया कि उसने स्वेच्छापूर्वक अपने स्वयं के हित के कारण बिल का भुगतान किया है और ₹ 50,000 का पुनर्भुगतान करने से इन्कार कर दिया। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय कीजिये कि क्या मि. एम, मि. एल द्वारा पुनर्भुगतान प्राप्त करने का हकदार है ?
  - (ii) मि. ए ने मि. बी को 12.02.2024 को ₹ 1,500 प्रति कुर्सी की दर से 25 कुर्सियाँ बेचने का प्रस्ताव किया। ए ने बी से वादा किया कि वह प्रस्ताव को 15.02.2024 तक खुला रखेगा। यद्यपि 13.02.2024 को उसने कुर्सियों को मि. सी को ₹ 1,700 प्रति कुर्सी की दर से बी की जानकारी के बिना बेच दिया। बी ने पूर्वोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति 14.02.2024 को संसूचित की। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार सलाह दीजिए कि क्या मि. बी, मि. ए से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है?

- (iii) मि. ए एक अनाथालय चला रहा था। उसका परोपकारी मित्र मि. एस, एक बच्चे के इलाज हेतु ₹ 2 लाख देने के लिए सहमत हुआ जो कि कैंसर से पीड़ित था। आपातकालीन स्थिति में मि. ए ने बच्चे के इलाज पर ₹ 1.5 लाख खर्च किये। अब मि. एस भुगतान करने से मना कर देता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार क्या मि. ए, मि. एस से ₹ 1.5 लाख लेने हेतु दावा कर सकता है?
- (b) (i) एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट कमल ने 1 अक्तूबर 2023 को एकल व्यक्ति कम्पनी (OPC) का निगमन करते हुए अपना ई-कॉमर्स व्यवसाय शुरू किया। OPC का एकमात्र सदस्य होने के नाते उसने अपने भाई सुधाकर को उसकी सहमित से OPC के संगम ज्ञापन में नामिति (नोमिनी) के रूप में नामांकित किया। अब कमल एक जनवरी 2024 से सुधाकर को प्रतिस्थापित कर निम्नलिखित चुने हुए दोस्तों में से किसी एक को नामिति (नोमिनी) के रूप में नामांकित करने का इच्छुक है।
  - (1) रॉबर्ट, जो एक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी है जिसने अपना निवास 31 मई, 2022 को USA में स्थानान्तरित कर दिया है और एक जनवरी, 2024 तक भारत नहीं लौटा है।
  - (2) दिनकर, एक भारतीय नागरिक और भारत का अनिवासी जो एक अप्रैल, 2023 को रोजगार हेतु भारत आया और तब से लगातार भारत में रह रहा है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कमल को उसके चुने हुए दोस्तों को नामिति (नोमिनी) नियुक्त करने हेतु योग्यता और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नॉमिति के नाम में परिवर्तन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में सलाह दीजिए।

- (ii) एक्स वाई ज़ेड लिमिटेड एक नवीन उत्पाद के लिए पेटेन्ट धारण करने हेतु निगमित कंपनी जो अगले 2 वर्षों के अन्दर इसका व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद कर रही है, इसी दौरान कम्पनी ने समय पर स्थापना के लिए प्लान्ट एवं मशीनरी का ₹ 1 करोड़ के पूर्व भुगतान (डाउन पेमेन्ट) के साथ क्रय आदेश दिया है । भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए परीक्षण कीजिए कि क्या कम्पनी निष्क्रिय कम्पनी का दर्जा प्राप्त कर सकती है ?
- (c) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित के उत्तर दीजिए:
  - (i) "यदि किसी भागीदार (साथी) को अन्यथा निष्कासित कर दिया जाता है, तो 4 निष्कासन अमान्य और शून्य है।" व्याख्या कीजिए।
  - (ii) "निष्कासित भागीदार (साथी) निष्कासन के बाद फर्म के कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।" विश्लेषण कीजिए।
- 2. (a) (i) मेसर्स आर.के. ट्रेडर्स (क्रेता) ने मेसर्स सी.के. ट्रेडर्स (विक्रेता) के साथ 2000 kg बासमती चावल जो कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में उगाये गये थे खरीदने का अनुबंध किया, जिनकी पैकिंग 25 kg प्रति बैग के अनुसार गुलाबी रंग के बैग में की जानी चाहिए तािक मूल स्थान की पहचान हो सके। विक्रेता छत्तीसगढ़ राज्य में उगाये जाने वाले चावलों की विशेष पैकिंग के लिए तैयार हो गया। फिर भी, विक्रेता के कर्मचारियों की गलतफहमी के कारण उन्होंने 1800 kg बासमती चावल जो कि महाराष्ट्र में उगाये गये थे की पैकिंग सफेद बैग्स में कर दी जो कि एक बैग 30 kg का था और बाकी बची हुयी

200 kg की मात्रा को जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में उगायी गई थी गुलाबी रंग के बैग्स में की गई जो कि 25 kg प्रति बैग था। माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या खरीदार को विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई बासमती चावल की पूरी मात्रा को अस्वीकार करने का अधिकार है ?

दूसरी ओर यदि अन्य पक्षों के साथ अन्य अनुबंधों का पूरा करने के लिए खरीदार को पूरी मात्रा स्वीकार करनी पड़ती है तो क्रेता को क्या उपचार उपलब्ध है ?

(ii) कार्तिक, एक हार्डवेयर इंजीनियर कुसुम द्वारा तय की जानेवाली कीमत पर वसंत को लेपटॉप देने के लिए सहमत हो गया। फिर भी, लेपटॉप की सुपुर्दगी (डिलिवरी) से पहले कार्तिक ने अपना मन बदल लिया और कुसुम के साथ लेपटॉप का कोई विवरण (कान्फिग्यूरेशन) साझा नहीं किया जिससे वह मूल्यांकन करने में असमर्थ हो गई। कुसुम ने मूल्यांकन करने से इन्कार कर दिया।

वसन्त को अपने प्रोजेक्ट के लिए लेपटॉप की जरूरत थी, इसलिए उसने कार्तिक से वादा किया कि अगर लेपटॉप उसे दिया जायेगा, तो वह इसके लिए उचित कीमत देगा, फिर भी, कार्तिक ने फैसला किया कि उसे लेपटॉप वसन्त को नहीं बेचना है। अब वसन्त आपसे जानना चाहता है, एक कानूनी विशेषज्ञ होने के नाते, क्या कार्तिक उसे अपना लेपटॉप देने के लिए बाध्य है, जैसे कि पहले ही सहमति हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए वह उचित मूल्य देने के लिए तैयार है। अगर वह सुपुर्दगी के लिए तैयार नहीं होता तो वसन्त के लिए क्या उपचार है ? माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अंतर्गत अपनी सलाह दीजिए।

- 100000 (b) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित के उत्तर
  - (i) "निगमन पर्दा कभी-कभी कम्पनी के सदस्यों को, कम्पनी के कार्यों से संरक्षण 5 प्रदान करने में असफल रहता है।" किन्हीं तीन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।
    - (ii) पंजीकृत होने पर ज्ञापन और लेखों का क्या प्रभाव पड़ता है ? 2
  - (c) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए:
    - किन परिस्थितियों में एक सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम बदलने की आवश्यकता होती है ? नाम बदलने के बाद अनुपालन की आवश्यकता और उसमें चूक की स्थिति में परिणाम, यदि कोई हो, के बारे में भी बताइये।
    - (ii) छोटी (लघु) सीमित देयता भागीदारी से आपका क्या तात्पर्य है ? 2
- (a) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित के 3. उत्तर दीजिए:
  - राम और श्याम RS & Co. नामक एक भागीदारी फर्म में भागीदार हैं। गोपाल, एक प्रसिद्ध व्यवसायी, उन दोनों का मित्र है। राम ने गोपाल को अपने नये शामिल हुए भागीदार के रूप में फर्म के सप्लायर सुन्दर से मिलवाया। गोपाल ने यह जानते हुए भी कि वह भागीदार नहीं है, ऐसे परिचय पर चुप रहना पसंद किया । गोपाल के बारे में यह जानकारी कि वह फर्म का भागीदार है सुन्दर ने एक अन्य व्यवसायी माधव के साथ साझा की। अगले दिन, सुन्दर ने यह समझकर कि गोपाल फर्म का भागीदार है, लघु अवधि के लिए फर्म को उधार पर कच्चा माल और माधव ने ₹ 5 लाख की आपूर्ति की । नियत तिथियों पर, फर्म दोनों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहती है। गोपाल को सलाह दीजिए कि क्या वह फर्म के उपरोक्त दायित्व के लिए सुन्दर और माधव के प्रति उत्तरदायी है। P.T.O.

WPR-H

- (ii) एक नये भागीदार के रूप में प्रवेश पर, अमर सिहत भागीदारों द्वारा हस्ताक्षारित एक समझौते के द्वारा अमर फर्म के मौजूदा ऋणों (पुराने ऋणों के रूप में संदर्भित) के लिए उत्तरदायी होने के लिए सहमत हुआ। जाँच कीजिए कि क्या फर्म के पुराने ऋण की वसूली के लिए फर्म तथा सभी मौजूदा भागीदारों के विरुद्ध लेनदार द्वारा दायर वाद में अमर उत्तरदायी होंगे।
- (iii) एक फर्म की ₹ 200 लाख की सम्पत्ति में 10% हिस्सेदारी रखनेवाली सुमन 31 मार्च, 2023 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गयी । मौजूदा और सेवानिवृत्त भागीदारों के बीच खातों के अंतिम निपटान के बिना फर्म वहाँ व्यवसाय जारी रखती है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 10 लाख का मुनाफा अर्जित करती है । सुमन ने अपने हित में और इस बिन्दु पर साझेदारी फर्म में किसी भी प्रावधान के अभाव में संपत्ति के हिस्सेदारी के उपयोग और लाभ के लिए फर्म से ₹ 3 लाख का दावा करती है । जिसे फर्म के भागीदारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था । साझेदारों के मध्य इस सम्बन्ध में अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कोई अनुबंध नहीं है । भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के तहत सुमन द्वारा दावा की गई राशि की वैधता की जाँच कीजिए।
- (b) (i) JV लिमिटेड ने अपनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टार बैंक लिमिटेड (बैंक) से ₹ 5 करोड़ का सुरक्षित ऋण उधार लिया। फिर भी, संगम ज्ञापन के तहत कम्पनी की उधार लेने की शक्तियाँ ₹ 1 करोड़ तक सीमित है। बैंक ने ऋण राशि ₹ 1 करोड़ और ₹ 4 करोड़ की किश्तों में जारी की। ऋण चुकाने की नियत तारीख पर, कम्पनी ने इस आधार पर ₹ 5 करोड़ की देनदारी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, कि उधार लेना कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कम्पनी के खाते की पुस्तकों से पता

चलता है कि कंपनी ने अपने वैध ऋणों के भुगतान के लिए ₹ 3 करोड़ की ऋण राशि का उपयोग किया है, बाकी ₹ 2 करोड़ के उपयोग का पता नहीं चल पा रहा है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिकारातीत के सिद्धान्त का हवाला देते हुए ऋण की अदायगी से इन्कार करने वाले कम्पनी के निर्णय की वैधता की जाँच कीजिए और ऋण की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध उपाय, यदि कोई हो, तो पता लगायें।

(ii) 15 मई, 2024 को गुडिवल प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी) के निगमन के बाद अमित, सुमित और सुमित को संगम ज्ञापन (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन) के सदस्य होने के कारण, बिना सामान्य मुहर लगाये और कम्पनी के निदेशक अमित और सुमित के हस्ताक्षर के शेयर प्रमाण-पत्र जारी कर दिये। कम्पनी ने अभी तक कम्पनी सिचव नियुक्त नहीं किया है। शेयर प्रमाण-पत्र की वैधता के बारे में एक निदेशक सुमित द्वारा उठाई गई आपित पर अन्य दो निदेशकों अमित और सुमित ने स्पष्ट किया कि चूँिक कम्पनी ने कम्पनी के लिए सामान्य मुहर नहीं रखने का विकल्प चुना है इसिलए दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित शेयर प्रमाण-पत्र (दस्तावेज) वैध हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक निदेशक द्वारा उठाई गई आपित की सत्यता की जाँच करें और जवाब में अन्य निदेशकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की जाँच कीजिए।

यदि कंपनी में कंपनी सचिव होता तो आपका क्या उत्तर होता ?

(c) (i) संविदा के उल्लंघन के मामले में, अदालत मुआवजा या हर्जाना दे सकती है। बताइये कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत अदालत द्वारा सामान्य क्षति, विशेष क्षति और परिनिर्धारित क्षति किन परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है।

- (ii) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में समझौतों को बिना प्रतिफल के वैध बनाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है ?
  - (A) प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पर हुआ समझौता
  - (B) कालातीत ऋण चुकाने का वचन
- 4. (a) (i) राघव को सड़क किनारे सोने और हीरे जड़ित एक कलाई घड़ी मिली जिसकी कीमत लगभग ₹ 1,00,000/- है । उसने उसे उठा लिया और फिर अखबार में विज्ञापन दिया कि उसका असली मालिक उचित सबूत दिखाकर वह घड़ी ले सकता है । कुछ समय इन्तजार करने के बाद जब असली मालिक नहीं आये, तो उसने वह कलाई घड़ी अपने बेटे महेश को उपहार में दे दी । कुछ दिनों बाद, घड़ी के असली मालिक माधव ने किसी तरह महेश की कलाई पर अपनी घड़ी देखी । उसने उसे लेने के लिए उससे सम्पर्क किया लेकिन महेश ने इन्कार कर दिया । शाम को, राघव ने माधव को फोन किया और उसे बताया कि असली मालिक का पता लगाने में उसके ₹ 20,000 खर्च हो गये हैं । अगर वह असली मालिक का पता लगाने के लिए दिये गये वैध खर्च की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है, तो वह उस पर वसूली के लिए मुकदमा करेगा या वसूली तक घड़ी का कब्जा अपने पास रखेगा । यहाँ तक कि वह खर्चों की वसूली के लिए घड़ी बेच भी सकता है ।

सलाह दीजिये कि क्या राघव के निम्नलिखित कार्य भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार वैध थे:

- (A) अपने बेटे को कलाई घड़ी उपहार में देना।
- (B) वास्तविक मालिक को ढूँढ़ने में किये गये कानूनी व्यय की वसूली के लिए माधव को मुकदमा करने की चेतावनी देना।
- (C) कानूनी खर्चों की वसूली तक कलाई घड़ी का कब्जा बरकरार रखना।
- (D) खर्चों की वसूली के लिए कलाई घड़ी बेचना।

- (ii) वूलन गारमेन्ट्स लिमिटेड ने सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वेटर, मंकी कैप, मफलर, ऊनी कोट, हाथ के दस्ताने आदि जैसे विभिन्न ऊनी कपड़ों की आपूर्ति करने के लिए जुलाई, 2023 में महिलाओं के एक समूह के साथ एक अनुबंध किया। समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ऊनी कपड़ों की आपूर्ति सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले अक्तूबर, 2023 के अंत तक की जायेगी। हालांकि, लम्बी हड़ताल के कारण, महिला समूह मार्च, 2024 में आपूर्ति कर सकी, जब सर्दियों का मौसम लगभग समाप्त हो गया था। स्थिति का विश्लेषण कीजिए और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये:
  - (A) क्या कम्पनी महिला समूह द्वारा की गई कुल आपूर्ति को अस्वीकार कर सकती है ?
  - (B) क्या कम्पनी महिला समूह के अनुरोध पर कुल आपूर्ति स्वीकार कर सकती है ?
- (b) (i) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के सन्दर्भ में उन दृष्टान्तों को 4 बतायें जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा चेक के अनादरण के लिए उसे अपराधी माना जावेगा और ऐसे अपराध का गठन न करने के लिए किन शर्तों का पालन किया जाना चाहिए ?
  - (ii) (A) सभी चेक बिल होते हैं जबिक सभी बिल चेक नहीं होते । चेक की अतिरिक्त विशेषताओं की व्याख्या कीजिए जो परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 के अनुसार चेक को बिल से अलग करती है ।
    - (B) संदिग्ध लिखत ।

: 4

(c) भारतीय विनियामक तंत्र को ध्यान में रखते हुए भारतीय विधिक व्यवस्था के कानून 6 के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

7

- 5. (a) (i) अशोक, एक व्यापारी, ने मंगेश को 'बिक्री या वापसी' के आधार पर एक कैमरा दिया। मंगेश राहुल को 'केवल नकदी में बिक्री या वापसी' की शतों पर कैमरा सौंपता है। बाद में, राहुल ने मंगेश को नकद भुगतान किये बिना इसे 'बिक्री या वापसी' के आधार पर विशाल को सौंप दिया। कैमरा, जो विशाल के पास था, चोरी से खो गया था, हालांकि उसने इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था। माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्थिति का विश्लेषण कीजिए और सलाह दीजिये कि क्या मंगेश, राहुल या विशाल संयुक्त रूप से या अलग-अलग अशोक को कैमरे की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
  - (ii) जयपुर के अंसारी ने 100 स्मार्ट टीवी सेट दिल्ली के बाबूराम को प्रित सेट ₹ 50,000 में बेचे । उन्होंने बाबूराम को प्रेषण के लिए एक परिवहन वाहक चेतन को TV सेट दिये । बाबूराम ने इन 100 TV सेटों को श्यामलाल को ₹ 60,000 प्रित सेट के हिसाब से बेच दिया । माल गंतव्य पर पहुँचने पर बाबूराम ने सुपुर्दगी की माँग की, लेकिन चेतन ने अनुचित रूप से बाबूराम को सामान देने से इन्कार कर दिया । इसलिए, वह श्यामलाल को TV सेट देने में विफल रहा और सुपुर्दगी न होने के कारण उसे भारी नुकसान हुआ । इसकी जानकारी अंसारी को हो गयी । उन्होंने चेतन को निर्देश दिया कि वह बाबूराम की सुपुर्दगी रोक दे और उसे जयपुर में सामान दोबारा दे दे ।

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (A) क्या अंसारी को पारगमन में माल को रोकने का अधिकार है ?
- (B) क्या बाबूराम अंसारी से सुपुर्दगी न होने के कारण हुए नुकसान का दावा कर सकते हैं ?
- (b) उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, जिनमें एक अदालत, भागीदार के मुकदमे पर, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के तहत एक भागीदारी फर्म को भंग कर सकती है।

- (c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित प्रावधानों को 6 समझाइये :
  - (i) किसी भी गलत कर्ता (तृतीय पक्ष) के खिलाफ जमानतदार और जमानती के अधिकार
  - (ii) अधिमान के कर्तव्य
- 6. (a) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दिये गये परिदृश्य में निम्नलिखित का उत्तर दीजिए :
  - (i) अमन ने बबन पर मगन को अथवा आदेशानुसार भुगतान के लिए एक विनिमय बिल आदारित किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। मगन ने बिल का पृष्ठांकन गगन को कर दिया। गगन ने बिल को आकाश को पृष्ठांकित कर दिया जो उसे अगले दिन सुपुर्द किया जाना था। यद्यपि उसी दिन गगन की मृत्यु के कारण उसके इकलौते पुत्र अंकित ने वह बिल अगले दिन आकाश को सुपुर्द किया अपने मृतक पिता की इच्छा के अनुसार। देय तिथि को बिल प्रस्तुत करने पर बबन ने भुगतान करने से मना कर दिया। परक्रामण, में सुपुर्दगी के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए यह निर्णय लीजिये कि क्या आकाश, बबन या पूर्व पक्षकारों को बिल भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है।
  - (ii) रिलाइबल लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी पेट्रोकेमिकल उत्पादों में वैश्विक अग्रणी कम्पनी है। कंपनी ने एलेक्स मैन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड, एक USA वाली कंपनी (निर्यातक) से आयातित मशीनरी के विक्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए मनिष पर एक विनिमय पत्र लिखा, जो कि मुम्बई में रहनेवाला भारतीय है, उसने मुम्बई में बिल को स्वीकार किया जो कि विदेशी निर्यातक को USA Los Angeles में देय था। निर्णय लीजिये क्या यह विनिमय पत्र भारतीय है लिखत या विदेशी लिखत। यह मानते हुए कि विनिमय पत्र लिखने वाली कंपनी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित था।

<b>WW</b> 7.	ממ	TT
WW	rĸ	

Marks

- (b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित का उत्तर दीजिए:
  - (i) 'एजेंट प्रिन्सीपल की ओर से अनुबंधों को व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं कर सकता है, न ही व्यक्तिगत रूप से बाध्य हो सकता है, फिर भी, इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं।' समझाइये।
  - (ii) मुकदमा दायर होने पर क्षतिपूर्ति-धारक के अधिकार बताइये।

## 2

#### अथवा

(i) क्षतिपूर्ति संविदा और गारन्टी संविदा के बीच चार अंतर बताइये।

# 4

(ii) क्या आत्महत्या करने की धमकी उत्पीड़न है ?

- (c) (i) माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं से संबंधित नीलामी बिक्री के कानूनी नियमों की व्याख्या कीजिए:

  - (A) विक्रेता द्वारा अधिसूचना के साथ या उसके बिना बोली लगाये।
  - (B) बोली लगाने वाले के द्वारा बोली को वापस लेना।
  - (C) दिखावटी बोली का प्रभाव।
  - (ii) माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अनुसार गलत मात्रा में माल 3 की सुपुर्दगी से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।